

15⁰³
24

पार्थी नारायणसिंह के आवेदन पत्र पर पत्रावली अज
सुनवाई पर ली गई। पार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर
प्रकरण को जरिये विज्ञापन प्रार्थना पत्र खारिज किये
जाने का निवेदन किया। अतः पार्थी द्वारा प्रस्तुत
धारा 251 A का प्रार्थना पत्र O-23, R-1 CPC के
प्रविष्टि के तहत जरिये विज्ञापन खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल शुमार टीबर नम्बर से कम है।



उपस्थान अधिकारी
पाली (जिला-पाली) राज.